दिनांक 30.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 30/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.11.2022 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोनाली जारत बाग के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त भूरा उर्फ वाजिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमरोहा, सम्भल, मुरादाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 38 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना डिडौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 492/2022 धारा 380/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भूरा उर्फ वाजिद निवासी मुढा इम्मा थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद श्रावस्ती/थाना सिरसिया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 30.11.2022 को थाना सिरसिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुखदेव को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 442/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुखदेव बरगदही थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 183 मधुमक्खी के डिब्बे मय स्टैड, सौर उर्जा प्लेट आदि**
- **04 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 आयशर कैंटर बरामद**

दिनांक 30.11.2022 को थाना खुर्जानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरोली गांव जंगल से 04 अभियुक्तों 1–नौशाद 2–प्रमोद कुमार

3–अजय कुमार 4–संदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 183 मधुमक्खी के डिब्बे मय स्टैड, सौर उर्जा प्लेट आदि, 04 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 आयशर कैंटर बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29/30.11.2022 की रात्रि थाना खुर्जानगर क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद डिब्बे, स्टैड, प्लेट आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नौशाद निवासी मो0टंकी कस्बा व थाना रजपुरा जनपद सम्भल।

2–प्रमोद कुमार निवासी जलालपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

3–अजय कुमार निवासी जलालपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

4–संदीप निवासी सिकेरा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–लूटे गये 183 मधुमक्खी के डिब्बे मय स्टैड, सौर उर्जा प्लेट आदि।

2–04 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 01 आयशर कैंटर।

जनपद कुशीनगर/थाना नेबुआ नौरंगिया

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 10 हजार 550 रूपये नगद**
- **चोरी का मोबाइल फोन आदि**
- **लगभग 02 लाख 10 हजार रूपये का अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 04 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 30.11.2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेखुई बाजार नहर चौराहा के पास चेकिंग के दौरान 07 अभियुक्तों 1–मेराज 2–वकारुल्लाह 3–खलीकुज्जमा उर्फ अफरीदी 4–धनन्जय उर्फ लकी 5–मोजाहिद 6–असमुद्दीन 7–दिलशाद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 10 हजार 550 रूपये नगद, चोरी का मोबाइल फोन आदि, लगभग 02 लाख 10 हजार रूपये का 10 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 04 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.11.2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0सं0 431/2022 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन आदि उक्त चोरी व रूपया थाना कोतवाली पड़रौना पर पंजीकृत लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नेबुआ नौरंगिया पर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मेराज अंसारी निवासी पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

2–वकारुल्लाह निवासी पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

3–खलीकुज्जमा उर्फ अफरीदी निवासी विशुनपुरा थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर।

4–धनन्जय उर्फ लकी निवासी मीर्जापुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर हालपता कोटवां थाना नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर।

5–मोजाहिद निवासी पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

6–असमुद्दीन निवासी पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

7–दिलशाद निवासी फेरु छपरा आजाद नगर थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

बरामदगी–

1–लूट/चोरी के 10 हजार 550 रूपये नगद।

2–चोरी का मोबाइल फोन आदि।

3–लगभग 02 लाख 10 हजार रूपये का 10 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

4–घटना में प्रयुक्त 04 मोटर साइकिल।

जनपद अलीगढ़/थाना बन्नादेवी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/धोखाधड़ी के लगभग 08 लाख रूपये कीमत के 495 बोरे डीएपी व एमएपी खाद**
- **चोरी का ट्रक बरामद**

दिनांक 30.11.2022 को थाना बन्नादेवी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरौला पुल से 04 अभियुक्तों 1–सुलह सिंह 2–प्रेमपाल 3–अमरसिंह 4–भूपसिंह को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के लगभग 08 लाख रूपये कीमत के 495 बोरे डीएपी व एमएपी खाद, चोरी का ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बन्नादेवी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुलह सिंह निवासी सूरजपुर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

2–प्रेमपाल निवासी तरैची थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़।

3–अमरसिंह निवासी तरैची थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़।

4–भूपसिंह निवासी चंदउआ थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–चोरी/धोखाधड़ी के लगभग 08 लाख रूपये कीमत के 495 बोरे डीएपी व एमएपी खाद।

2–चोरी का ट्रक।

जनपद औरैया/थाना कोतवाली औरैया

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **70 हजार रूपये नगद**
- **विभिन्न बैंक के 109 एटीएम, 03 मोबाइल फोन**
- **03 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.11.2022 को थाना कोतवाली औरैया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फफूंद रोड नहर पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1–मनमोहन 2–दिनेश 3–रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 70 हजार रूपये नगद, विभिन्न बैंक के 109 एटीएम, 03 मोबाइल फोन, 03 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो एटीएम मशीन के आसपास लोगो को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर बैंक में खाता खुलवा कर एटीएम व पिन प्राप्त कर पैसे निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली औरैया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनमोहन निवासी हीरापुर थाना कालपी जनपद जालौन।

2–दिनेश निवासी बसन्तपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।

3–रोहित कुमार नोरी राजपुर थाना अयाना जनपद औरैया।

बरामदगी

1–70 हजार रूपये नगद।

2–विभिन्न बैंक के 109 एटीएम, 03 मोबाइल फोन।

3–03 मोटर साइकिल।

- **जनपद बाराबंकी/थाना मुहम्मदपुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–44 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मुहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(घ) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामू 2–अमित कुमार को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 22–22 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना कलवारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बस्ती द्वारा थाना कलवारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376क, ख भादवि व 5(ड़)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अर्जुन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना धामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बिजनौर द्वारा थाना धामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जोगेन्द्र कुमार को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 90 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पे0 जज पॉक्सो कोर्ट एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील कुमार को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 90 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट–द्वितीय एटा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गोरे लाल को 07 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 90 लाख 99 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस ने अभियुक्त 1—जुल्फान 2—इरफान उर्फ ज्योती पुत्रगण लियाकत निवासीगण बाढ़ीमाजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 90 लाख 99 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

—————————